

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
प्रवेश प्रवेश सचयन।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सचयन/2020/1971

संख्याक: दिनांक 15-9-2020

—कार्यालय द्वारा—

अज्ञित संख्याक प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय वायुसेना अधिकांश इन्फान्ट्री, नई दिल्ली द्वारा संख्याक 2020-21 हेतु विभागतिक स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा परिषद, संख्या संख्याक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अज्ञात प्राथमिक शिक्षा परिषद, संख्या संख्याक से अज्ञातता में सौंपकर कार्यलय में रोक करवाये गये। रोक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संख्याक से सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/संयोजक/प्रवेश समता प्रति शक्ति सत्र 2020-21 हेतु संख्याक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

एक ही अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की रोक के क्र. 3 में निर्णय इन भारतीय वायुसेना संयोजक करने वाली पूर्ण से सम्बद्धता संस्थाओं का प्रकाश करा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गलत विचार-विमर्श कर निम्नलिखित किया गया -

- निम्नी क्षेत्र में स्थापित विन्डोमा इन भारतीय वायुसेना संयोजक करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, संख्या संख्याक से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अधिकृत वायुसेना/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को अज्ञात सम्बद्धता समिति की रोक में किये गये जाते-जाते निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, संख्या संख्याक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन वायुसेना एवं प्रवेश समिता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था सं. सं.	संस्था का नाम	अधिकृत का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता	पीसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	4842	राज्य सुदान प्रवेश समता भारतीय वायुसेना-भारतीय 10-संस्था, 100-संस्था, अज्ञात।	निर्मल इन चर्मेठी	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ/पीसीआईओ द्वारा निर्णयित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संस्था द्वारा नये प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं 100 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विभागाध्यक्षी संख्या संख्याक से सम्बद्धता-2018 तथा अन्य निर्मित विन्डोमा एवं अर्थकों का अनुमोदन करनी तथा मुक्त निवास समिति द्वारा निर्णयित मुक्त तीन परीम इन्फि सचयनमें हेतु सं. 20.100.00/- अर्थात् 20 अर्थात् भारतीय वायुसेना हेतु सं. 22.500.00/- अर्थात् एवं एक तथा दो वर्षीय वायुसेना (वि. अर्थात् भारतीय वायुसेना में अभिरक्षण) हेतु सं. 22.500.00 अर्थात् मुक्त ही प्रवेश प्रदान/प्रदान

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/0821/3537

संलग्नक दिनांक 08/08/2021

कार्यालय आप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा हाईवेर तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद (उ.प्र.) सरकार से सम्बद्धक सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण में संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता बुद्धि सहित अन्य सभी का विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धक सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नियुक्ति करने के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 4043-SHANTI SUDAMA COLLEGE OF PHARMACY VILL-AMOURA,POST-PANDANA, TEHSIL-LALGANJ, AZAMGARH-276202

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट, 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली, 1982, सेक्टर विनियमवाली, 2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इन्जी। पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कार्यक्रमों हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कार्यक्रमों पर्याय) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक व्यवसाय से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर साहचर्य द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और सदनकार कार्रवाई किए जाने आवश्यक होंगे। कोस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु कोस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कोस की नीतिनाम दरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था को उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उ० प्र समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सनुका प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के विस्तार सह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समझ-समझ पर निर्णय शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क चमा करवा होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आनामो सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कल्पे नये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र०, सनुका प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा कल्पे गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम की संरक्षण यदि ए० सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और वित्तिक रूप में कियो भी कार्रवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, सनुका प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बंध लागू किया गया है तथा बाध्य बंध के संबंध में सा, व्यापकता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ द्वितीयमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीठसीईआईओ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है। अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण निर्धारी तह अनुपालन संस्था आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं वेब साइट की पेटिशनरों के प्रति भूमि, स्टाफ, साधन-सामग्री, उपकरण, प्रवेश विभाग होने वाला सुलभ, सहायक सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ट्रेनिंग टैकन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित होवे कि संस्था में प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संभाल में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वीकृत निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सामग्री पीठसीईआईओ/पीठसीईओ/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता कार्यों का अनुपालन न किये जाने अथवा कार्यों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही की जाएगी।

(शुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुस्तक- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHANTI SUDAMA COLLEGE OF PHARMACY VILL-AMOURA, POST-PANDAHA, TEHSIL-LALGANJ, AZAMGARH-276202



(शुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या - प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/10733

लखनऊ दिनांक: 15/12/2022

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4042-SHANTI SUDAMA COLLEGE OF PHARMACY			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इभी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश हस्तनाड द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सचिव-सचवा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैमिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औचक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(एफ०आर० खान)

सचिव

पु०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/10734-10769

दिनांक: 15/12/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHANTI SUDAMA COLLEGE OF PHARMACY


(एफ०आर० खान)

सचिव

कार्यालय**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश तकनीक।**

संख्या- प्राशिपापरिषद सम्बद्धता/2023/12890001

तखनक: दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय ग्राम-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्मिकी कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित द्वितीय राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० तकनक से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 15-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा तिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० तकनक द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें भक्ति योग्य क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 4842-SHANTI BUJAMA COLLEGE OF PHARMACY		
क्रमसं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०पी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
		60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के एन संख्या 311/15-0099/9/2023 टी०पी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघटित समस्त संस्थानों की शर्त के विरुद्ध भारतीय-याचकता में प्रेषित किए जाचिका संख्या 8021/2023 में भारतीय याचकता के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता स्थिति की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली के आदेश के अनुसार संस्था में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैब उपकरण) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सैमिटर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्मित शासनद्वारा का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही उपर्युक्त शासनादेशों से प्राप्त किए जाचिका। उपरोक्त के अतिरिक्त एन० एन०पी से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर आदेश द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनद्वारा प्रभावी होगी, और अनुक्रम कार्यावली विषय ज्ञात अवकाशक होगा। पीन निर्धारण समिति द्वारा सदि सत्र 2023-24 हेतु पीन का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो पीन की सर्वोत्तम हो सारु होगी।
- ✓ संस्था में शुल्क प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदन शर्तों की ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था की समय-समय पर निर्मित शासनद्वारा के अनुपाल निर्देशों एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधिविधियों/अधिनियमों/शासनद्वारा निर्देशों एवं विदेशिक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, अनुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा स्थापित गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ उक्त संस्था का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निराल किया जाता है जो इस संबंध में समस्त उपरोक्तिक संस्था का होगा और विधिक सत्र में किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था उत्तर उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, अनुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विदेशिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाया जाता है तो संस्था उत्तर उत्तर के संबंध में न, याचकता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रवेशी अदालत निर्मित किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था की करनी होगी।
- ✓ संस्था की अनुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनक द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयित प्रार्थना होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी कार्यालय और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान करनी की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्मित सर्वोत्तम आदेश/निर्देशों का अनुपालन संस्था बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था की अदालत वेतनवृद्ध तथा प्राविधिक शिक्षा के सुधारक बोर्डस या संस्था की समस्त सुधारक जैसे संस्था की विदेशिक सुविधि भूमि, स्टाफ, साधन-समां, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाले शुल्क, संसाधन शुल्क अदि का विस्तार उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था की शिक्षण-विकास हेतु उपयुक्त असाधारण उपलब्ध कराने के साथ पैगोप टिकट के सम्बन्ध में समस्त अवकाशक संस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था जो सुनिश्चित करे कि संस्था में अन्तर्विदेशवाहिन पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निर्धारण समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये अधिनियम, भूमि, भवन, कार्मिकी, उपकरण इत्यादि का सदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होती है।

कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संबंधित समस्त किराये वाले की जापॉइसी की जायेगी।

- ✓ उक्त प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, सीएमओ का सम्बद्ध किया जाना), विधिमानवरी, 2000 के अधिनियमानुसार परिषद की स्थापना करने संबंधी कार्य, धरती और कर्मियों की परिषद की जापॉइसी के संयोजन के लिए परिषद के अधिकार में रहेंगी।
- ✓ संस्था के प्रौद्योगिक नवीकरण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सामान्यतः ₹0.25 करोड़ से अधिक की परिषद के सन्धानानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने, अधिका शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विधमानुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जायेगी।



(अवीश कुमार मिश्र)

सचिव

पु0स0- प्राथमिापरिषद सम्बद्धता/2023/(120990002-12091230

दिनांक: 12-09-2021

प्रतिशोधित:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHANTI SUDAMA COLLEGE OF PHARMACY



(अवीश कुमार मिश्र)

सचिव